न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00304

1. रजनी पंडित पत्नी श्री पण्डरीनाथ जी ।
2. शिल्पा पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी ।
3. लीना पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी ।
4. सोनाली पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी जाति ब्राह्मण निवासीगण सारोला हाउस श्रीपुरा कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रेवती पुत्री श्री रामचन्द्र राव पत्नी श्री सुदेश कामथ द्वारा सी.डी.आर. एस कामथ 2 बी गान्धारी आई.एन.एस. द्रोणाचार्य फोर्ट, कोच्चि केरला ।
2. सुनन्दा पत्नी श्री हेमन्त सारवरडाण्डे जाति मराठा ब्राह्मण निवासी सेहयाद्री हाउसिंग सोसायटी सी–4/3–3 सेक्शन 8 बी–सी –बी–डी बेलापुर नई मुम्बई ।
3. श्रीकान्त पंडित ।
4. गिरीश पंडित पिसरान श्री जयन्तराव जी जाति ब्राह्मण निवासी सारोला हाउस श्रीपुरा कोटा जिला कोटा ।
5. श्रीमती आशा टुकले पत्नी श्री रविन्द्र टुकले जाति ब्राह्मण निवासी टेम्पल क्यू फर्स्ट फ्लोर गांवदेवी यूजेश रोड, मुम्बई ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्री राधेश्याम पंडित आत्मज श्री उदय उर्फ उमेश कृष्णराव जी जाति ब्राह्मण निवासी सतीमाता मंदिर बालाकुण्ड कोटा ।
8. डिफेन्स गृह निर्माण सहकारी सहमति लि0 कोटा जरिये अध्यक्ष कर्नल श्री सुबीसिंह मलिक आत्मज श्री चौधरी जयसिंह निवासी 2 एन 6 रंगबाडी आवास विकास योजना कोटा एवं सचिव कोरपोरल पी0सी0 राठोर आत्मज श्री के0एस0 राठोर निवासी 1 एल 18 तलवण्डी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक जिलाधीश, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि पण्डित रामचन्द्र लाल जी के दो पुत्र गोविन्दराव व मोतीलाल थे तथा इनकी संयुक्त सम्पत्ति थी । गोविन्दराम व मोतीलाल के उत्तराधिकारियों के मध्य इनकी संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में विवाद होने पर विभाजन का वाद मोतीलाल के वंशज रामचन्द्रराव वगै0 ने दायर किया जिसमें दिनांक 29.07.83 को न्यायालय अतिरिक्त जिला जज कम 1 कोटा से निर्णय हुआ जिसमतें गोविन्दराव जी के उत्तराधिकारियों को हिस्सा 1/2 तथा पुरूषोत्तम राव जी के उत्तराधिकारियों का 1/2 हिस्सा माना गया । उक्त विभाजन से ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी भूमि में से 1270 बीघा पण्डित चन्द्रकान्त राव वगै0 प्रतिवादी पक्ष की तथा 1280 बीघा भूमि पण्डित जयवन्तराव वगै0 वादी पक्ष की मानी गई और इसी के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दोनों पक्षों के नाम अलग–अलग इन्द्राज हो गये । राजस्व रिकॉर्ड में जो अमल हुआ वह त्रुटिपूर्ण हो गया । राजस्व रिकॉर्ड में पुरूषोत्तम राव के उत्तराधिकारियों के नाम इस प्रकार दर्ज होने चाहिए थे कि पण्डित कृष्णराव केवारिसान के नाम 1/3, पण्डित जयवन्तराव के वारिसान के नाम 1/3 तथा पण्डित रामचन्द्रराव के नाम 1/3 क्योंकि श्री पुरूषोत्तमराव जी के एक पुत्र विश्वनाथ राव लाऔलाद फौत हो गये थे किन्तु राजस्व अभिलेख में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया और रिकॉर्ड में रामचन्द्र राव पिसरान पुरूषोत्तम राव, श्रीकान्त, गिरीश पिसरान पण्डित जयवन्तराव, श्रीकान्ता, गिरीश पुत्र व आशा, सुनन्दा पुत्रियॉ जयवन्तराव के नाम आराजी दर्ज कर दी गई तथा पुरूषोत्तम राव जी के एक पुत्र पण्डित कृष्णराव जी के वारिसान के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया जबकि 1/3 हिस्से में कृष्णराव के वारिसान का अंकन होना चाहिए था । वादी कृष्णराव का एक मात्र पुत्र है, कृष्णराव का दूसरा पुत्र उदय लाऔलाद फौत हो गये हैं । वादी कृष्णराव के वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं । वादी एवं प्रतिवादीगण तथा पण्डित चन्द्रकान्तराव के विरूद्ध चली सीलिंग कार्यवाही में भी जनवरी 1990 में इसी आशय का जवाब पक्षकारान ने प्रस्तुत किया था कि पुरूषोत्तमराव जी के उत्तराधिकारियों में उनकी बेवा श्रीमती रूकमा बाई तथा पण्डित कृष्णराव, पण्डित जयवन्तराव, पण्डित रामचन्द्र राव इनके उत्तराधिकारी हैं । इस आधार पर भी पुरूषोत्तम राव के उत्तराधिकारियों में 1/3 हिस्सा पण्डित कृष्णराव का 1/3 हिस्सा पण्डित जयवन्तराव का तथा 1/3 हिस्सा पण्डित रामचन्द्रराव का होता है । सीलिंग प्रकरण में हुए निर्णय में भी पुरूषोत्तम राव के वारिसान की तीन शाखा मानी गई हैं । न्यायालय अतिरिक्त जिला जज कम 1 कोटा द्वारा पारित निर्णय के पश्चात् बंटवारे में प्राप्त हुई भूमि में कृष्णराव के वारिसान का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था । पुरूषोत्तमराव जी की ब्रांच को प्राप्त भूमि कुल 21 किता की 204 बीघा 84 हैक्टर थी किन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृष्णराव के वारिसान वादी पक्ष के नाम अंकित नहीं की गई तथा गलती से जयवन्तराव व रामचन्द्रराव दोनों भाईयों का नाम दर्ज कर इनके साथ श्रीकान्त व गिरीश पसरान जयवन्तराव का नाम दर्ज कर दिया गया । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह इस गलती को दुरूस्त करावे । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से वह उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में कृष्णराव के वारिसान का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर आराजी विभाजन कर 1/3 हिस्से की आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द यिका जावे कि वादी के हिस्से की आराजी

को किसी प्रकार खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी में से कोई आराजी विक्रय कर दी गई हो तो वक्त विभाजन विक्रय की गई आराजी उसी प्रतिवादी के हिस्से में दी जावे जिसने उसे विक्रय किया है ।

4. प्रतिवादी क्रम 3, 4 व 7 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 3 व 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी ने वादपत्र की मद संख्या 2 व 3 में वर्णित किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला जज क्रम 1 कोटा ने संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.1983 से ग्राम लखावा की भूमि में 1280 बीघा भूमि पण्डित जयवन्तराव वगै0 वादी पक्ष की मानी गई है डिक्री की पालना में अमल दरामद हो चुका है । वादी अपने वादपत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उक्त निर्णय से वादी पण्डरीनाथ को कितनी भूमि दी गई थी । वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा निहित होना कथन किया है जबकि उक्त निर्णय में कृष्णाराव के वारिसान को कोई भूमि दिये जाने का उल्लेख नहीं है । 1280 बीघा भूमि के सम्बन्ध में स्वयं वादी के अनुसार वादी का कोई अधिकार दीवानी न्यायालय ने नहीं माना है जिससे इस 1280 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । दीवानी न्याालय की डिक्री की पालना में किये गये अंकन की दुरूस्ती के लिए यह वाद मेन्टेनेबल नहीं है तथा वादी का वाद दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 47 से भी बाधित है । दीवानी न्यायालय की डिक्री दिनांक 29.07. 1983 में किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन के लिए भी इस न्यायालय मे वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अधिकांश वादग्रस्त आराजी धारा 90 बी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत राजग्रामी घोषित करते हुए नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज की जा चुकी है जो कृषि भूमि नहीं रही है तथा उस भूमि के सम्बन्ध में वादी को आपत्ति करने व विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादपत्र की मद संख्या 01 में पक्षकारों के वंश वृक्ष में पण्डित पण्डरीनाथ वादी संयुक्त परिवार का हिस्सेदार बता रखा है तथा एवं प्रतिवादीगण ने सीलिंग कार्यवाही में जो जवाबदेही की है उसमें वादी की एक अलग से यूनिट होने का कथन किया है जिससे अब प्रतिवादीगण वादी के हिस्से को नकारने से एस्टोप्ड हैं । वादी के सिविल वाद में पक्षकारों के पूर्वजों के बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें भी पण्डित कृष्णाराव का हिस्सा माना है तथा पण्डित कृष्णाराव का वारिस वादी पण्डित पण्डरीनाथ है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि पण्डित चन्द्रकान्त राव के वारिसों के सम्बन्ध में

सीलिंग केस में निर्णय से भी पुरूषोत्तम राव के वारिसों की तीन शाखा मानी गई हैं जिसमें कृष्णाराव, जयन्तराव एवं रामचन्द्रराव हैं । कृष्णाराव के वारिसान में वादीगण को माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पंक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । दावे एवं पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन कियो बिना निर्णय पारित किया गया है । वादपत्र की मद संख्या 01 में पक्षकारों के वंशवृक्ष में पंडित पण्डरीनाथ वादी को संयुक्त हिन्दू परिवार का हिस्सा बता रखा है । प्रतिवादी ने सीलिंग की कार्यवाही में जो जवाबदेही की है उसमें वादी की एक अलग यूनिट होने का कथन किया है । अब प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से को नकारने से स्टोप्ड है । वादी ने सिविल दावे के पक्षकारों के पूर्वजों के बयानों की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की है जिसमें पण्डित कृष्णराव का हिस्सा माना है और कृष्णाराव का वारिस पण्डरीनाथ वादी ही है । सीलिंग प्रकरण में पुरूषोत्तम राव के वारिसों की 03 शाखा मानी गई हैं । कृष्णाराव जयन्तराव और रामचन्द्रराव । कृष्णाराव के वारिस वादी को माना गया है । सीलिंग के निर्णय का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । प्रकरण में साक्ष्य लेकर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सन् 1983 में पक्षकारों के मध्य दावे में सिविल न्यायालय के द्वारा विभाजन की डिक्री पारित की गई है । इस तथ्य को वादी ने अपने दावे की मद संख्या 02 और 03 में स्वीकार किया है । दिनांक 29.07.83 का जो निर्णय है उसमें वादीगण जयन्तराव, रामचन्द्रराव, श्रीकान्त और गिरीश थे और उनको 1280 बीघा भूमि दी गई थी और प्रतिवादी चन्द्रकान्तराव को 1270 बीघा । उस दावे में वर्तमान वादी अपीलान्ट क्रम 10 प्रतिवादी के रूप में दर्ज थे । इस कारण यदि इनका कोई हिस्सा वादग्रस्त आराजी में बनता है तो बहैसियत प्रतिवादी, प्रतिवादीगण को दी गई आराजी में से ही बनता है। वादी को प्राप्त आराजी के बाबत् इस हेतु वो सिविल न्यायालय में ही अपना कथन कह सकते हैं । सिविल न्यायालय के द्वारा एक बार विभाजन किये जाने के उपरान्त अपीलान्टगण के खिलाफ वादीगण का यह दावा मेन्टेनेबल नहीं है । दावे में अंकित तथ्यों और दावे के साथ पेश किये गये सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.83 के अनुसार दावा वादी विधिक रूप से मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश किया है और दावे की मद संख्या 2 और 3 में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व में एक दावा विभाजन का अतिरिक्त जिला जज क्रम 01 के न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.07.83 को निर्णित किया गया था जिसके अनुसार 1280 बीघा भूमि जयवन्तराव एवं अन्य वादीगण की मांनी गई और 1270 बीघा आराजी चन्द्रकान्तराव एवं अन्य प्रतिवादीगण की मांनी गई । सिविल न्यायालय अतिरिक्त जिला जज क्रम 01 न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.83 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ संलग्न की गई है जिसमें हाल वादी प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में दर्ज हैं । ऐसी स्थिति में यदि वादी अपीलान्ट को कोई. आराजी प्राप्त करनी है तो इस निर्णय के अनुसार प्रतिवादी को प्रदत्त 1270 बीघा आराजी में से ही प्राप्त करनी होगी न कि वादीगण को प्राप्त 1280 बीघा आराजी में से । यदि वो अतिरिक्त जिला जज क्रम 01 न्यायालय के निर्णय में कोई संशोधन एवं उस निर्णय के विरूद्ध कोई सहायता चाहते हैं तो उन्हें उसी न्यायालय में रिव्यू एवं उसकी अपील सक्षम न्यायालय में पेश करनी चाहिए । एक बार जब अपर जिला जज एवं सेशन न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उसी आराजी के बाबत् वादी का यह दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । साथ ही यदि वादी अपीलान्ट यह मानते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद अपर जिला जज की डिक्री के अनुसार नहीं हुआ है तो भी उन्हें अपना पक्ष अपर जिला जज के न्यायालय में ही रखना चाहिए न कि पृथक से राजस्व न्यायालय में । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2015/00304

1. रंजनी पंडित पत्नी श्री पण्डरीनाथ जी ।
2. शिल्पा पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी ।
3. लीना पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी ।
4. सोनाली पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी जाति ब्राह्मण निवासीगण सारोला हाउस श्रीपुरा कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रेवती पुत्री श्री रामचन्द्र राव पत्नी श्री सुदेश कामथ द्वारा सी.डी.आर. एस कामथ 2 बी गान्धारी आई.एन.एस. द्रोणाचार्य फोर्ट, कोच्चि केरला ।
2. सुनन्दा पत्नी श्री हेमन्त सारवरडाण्डे जाति मराठा ब्राह्मण निवासी सेहयाद्री हाउसिंग सोसायटी सी–4/3–3 सेक्शन 8 बी–सी –बी–डी बेलापुर नई मुम्बई ।
3. श्रीकान्त पंडित ।
4. गिरीश पंडित पिसरान श्री जयन्तराव जी जाति ब्राह्मण निवासी सारोला हाउस श्रीपुरा कोटा जिला कोटा ।
5. श्रीमती आशा टुकले पत्नी श्री रविन्द्र टुकले जाति ब्राह्मण निवासी टेम्पल क्यू फर्स्ट फ्लोर गांवदेवी यूजेश रोड, मुम्बई ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्री राधेश्याम पंडित आत्मज श्री उदय उर्फ उमेश कृष्णराव जी जाति ब्राह्मण निवासी सतीमाता मंदिर बालाकुण्ड कोटा ।
8. डिफेन्स गृह निर्माण सहकारी सहमति लि0 कोटा जरिये अध्यक्ष कर्नल श्री सुबीसिंह मलिक आत्मज श्री चौधरी जयसिंह निवासी 2 एन 6 रंगबाडी आवास विकास योजना कोटा एवं सचिव कोरपोरल पी0सी0 राठोर आत्मज श्री के0एस0 राठोर निवासी 1 एल 18 तलवण्डी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश, कोटा जिला कोटा ।

1. रजनी पंडित पत्नी श्री पण्डरीनाथ जी ।
2. शिल्पा पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी ।
3. लीना पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी ।
4. सोनाली पंडित पुत्री श्री पण्डरीनाथ जी जाति ब्राह्मण निवासीगण सारोला हाउस श्रीपुरा कोटा ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमती रेवती पुत्री श्री रामचन्द्र राव पत्नी श्री सुदेश कामथ द्वारा सी.डी.आर. एस कामथ 2 बी गान्धारी आई.एन.एस. द्रोणाचार्य फोर्ट, कोच्चि केरला ।
2. सुनन्दा पत्नी श्री हेमन्त सारवरडाण्डे जाति मराठा ब्राह्मण निवासी सेहयाद्री हाउसिंग सोसायटी सी–4 / 3–3 सेक्शन 8 बी–सी –बी–डी बेलापुर नई मुम्बई ।
3. श्रीकान्त पंडित ।
4. गिरीश पंडित पिसरान श्री जयन्तराव जी जाति ब्राह्मण निवासी सारोला हाउस श्रीपुरा कोटा जिला कोटा ।
5. श्रीमती आशा टुकले पत्नी श्री रविन्द्र टुकले जाति ब्राह्मण निवासी टेम्पल क्यू फर्स्ट फ्लोर गांवदेवी यूजेश रोड, मुम्बई ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्री राधेश्याम पंडित आत्मज श्री उदय उर्फ उमेश कृष्णराव जी जाति ब्राह्मण निवासी सतीमाता मंदिर बालाकुण्ड कोटा ।
8. डिफेन्स गृह निर्माण सहकारी सहमति लि0 कोटा जरिये अध्यक्ष कर्नल श्री सुबीसिंह मलिक आत्मज श्री चौधरी जयसिंह निवासी 2 एन 6 रंगबाडी आवास विकास योजना कोटा एवं सचिव कोरपोरल पी0सी0 राठोर आत्मज श्री के0एस0 राठोर निवासी 1 एल 18 तलवण्डी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

अपील तारीख 28.10.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं रस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर.

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा